

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-23/07/2019

विषय:- 100 बेड के अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना के भवन निर्माण हेतु रुपये 23,55,13,000/- (तेइस करोड़ पचपन लाख तेरह हजार रुपये) का प्रशासनिक स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रुपये) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक-267, दिनांक-18.04.2019 द्वारा 100 बेड के अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना के भवन निर्माण एवं अन्य अतिरिक्त कार्य यथा Fire Fighting, Fire Alarm, Bed Lift, HVAC, furniture हेतु प्राक्कलन प्राप्त है। प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर 100 बेड के अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना के भवन निर्माण हेतु रुपये 23,55,13,000/- (तेइस करोड़ पचपन लाख तेरह हजार रुपये) का प्रशासनिक स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष में रुपये 5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रुपये) मात्र व्यय का प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगा:-

- (i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।
- (ii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।
- (iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।
- (iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की ही होगी। सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह समुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।
- (v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। भवन निर्माण संबंधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी।
- (vi) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय। तदक्रम में निगम द्वारा भी भवन निर्माण संबंधी छः मासिक प्रगति से विभाग को अवगत कराया जाएगा, जबतक भवन निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाय।

(M)

(vii) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

3. उक्त कार्य मांग संख्या-20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0113 -जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल, भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार, विपत्र कोड-20-4210011100113, विषय शीर्ष-(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रुपये) विकलनीय होगा एवं अवशेष राशि अगले वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त निगम द्वारा मांग पत्र के आधार पर देय होगा।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म संख्या-46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी0एल0 खाता संख्या-PLA-244 एवं विपत्र कोड- K8448001110002 में सुलभ करायेंगे।

5. बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतदसंबंधी डी0सी0 विपत्र छः माह के अन्दर सुलभ करायेंगे।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि0(2), दिनांक-17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक-27.11.2007 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

7. राशि की निकासी उपर्युक्त कंडिका-3 के मुख्य शीर्ष /उपशीर्ष में उपबंधित राशि से की जायेगी।

8. राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, वित्त का अनुमोदन प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।



11. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-10/अनु0-05-01/2019 के पृष्ठ-...../टि0 में प्राप्त है।

13. संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव।


ज्ञापांक:- 527 (10)

/स्वा0, पटना, दिनांक-23/07/2019

प्रतिलिपि-योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-10, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव।